न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 45 / 2024
जीसीएमएस : 2024 / 410

01. अमरीक सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:प्रार्थी

बनाम

1. काला सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. जरनैल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. तारा सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. बलदेव सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. मलकीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति चमार साकिन 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:— 27.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता:—

1. श्री हरपाल सिंह सुदन प्रार्थी अधि.।
2. श्री गुरप्रताप सिंह अप्रार्थी सं. 1 ता 5 अधि.।

—निर्णय— दिनांक 29.08.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 89 प.नं. 154 / 329 के कि.नं. 1 ता 12 सालम नहरी, 13 / 1 की 0.126 है. नहरी कुल 3.162 है. नहरी खातेदारी है एवं अप्रार्थीगण के नाम चक 8 एनपी मु.नं. 90 (153 / 329) के कि.नं. 1 ता 4 सालम नहरी, 5 / 0.126 है. नहरी, 7 / 0.127है. नहरी, 8 ता 12 सालम नहरी, 13 / 0.127 है. नहरी, 19 / 0.126 है. नहरी, 20 / 0.253 है. नहरी व 21 / 0.127 नहरी, कुल 3.163 है. नहरी व मुरब्बा नं. 91 (154 / 330) के कि.नं. 1 ता 4 सालम नहरी, 5 / 1 की 0. 113 है. नहरी व 7 / 1 की 0.0130 है. नहरी कुल 1.1380 है. नहरी इस प्रकार कुल 4.3010 है. नहरी खातेदारी भूमि है। प्रार्थी को मुरब्बा नं. 90 (153 / 329) के कि.नं. 1 के उत्तरी—पश्चिमी कोने में साढ़े 16—साढ़े 16 फुट रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2024 को अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करवाने का कहा तो उसने रास्ता बंद करने की धमकी दी। यही तारीख पैदा होने बिनाय दावा बिनाय मुखासमत ... प्रार्थी को इस रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है और उस जोत के ... सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है तथा प्रार्थी के ... के अलावा वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थी राजस्थान ... नियम 2009 के नियम के उपनियम (1) के खंड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 17:00:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

द्वारा सिफारिश की गई कृषि दरों का दुगना प्रतिकर देने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 90 (153/329) के कि.नं. 1 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर साढ़े 16–साढे 16 फुट रास्ता स्वीकृत किए जाने की कृपा की जाए।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की तरफ से श्री गुरप्रतापसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 22.08.2025 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वयं अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के साथ राजीनामा पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में हम पक्षकारान का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से रास्ता में आने वाली भूमि की डीएलसी से चार गुणा राशि 7 हजार प्राप्त कर ली है चक 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 90 (153/329) के कि.नं. 1 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर साढे 16–साढ़े 16 फुट रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई एजराज व उज्र नहीं है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त उनवान प्रकरण की पत्रावली में राजनीनामा अनुसार फैसला करने व चक 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 90 (153/329) के कि.नं. 1 के उत्तरी–पश्चिमी कोने में साढ़े16–साढे16 फुट घुमावदार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जावे। राजीनामा दिनांक 22.08.2025 पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी की राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी को कोई एतराज नहीं है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर को उनके अधिवक्तागण द्वारा प्रमाणित किया गया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजीनामा दिनांक 22.08.2025 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा भी अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/129 दिनांक 19.02.2025 से चक 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 90 (153/329) के कि. नं. 1 के उत्तरी–पश्चिमी कोने में 16–1/2–16–1/2 फुट घुमावदार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। अतः राजीनामा दिनांक 22.08.2025 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के राजीनामा दिनांक 22.08.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक 8 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 90 (153/329) के कि.नं. 1 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर 16–1/2–16–1/2 फुट घुमावदार <u>गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश</u> प्रदान किये जाते है। रास्ता बिना किसी मुआवजा के आदान प्रदान के स्वीकृत किया जाता है निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 17:00:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

...र्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास ...या गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 17:00:27 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner